

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

संकल्प सं०:- 641322/ पटना, दिनांक :- 25/08/2026

संचिका सं०- R-504/39/2025-Section-14-RDD-RDD(COM No-504370)

श्री जितेन्द्र सिंह (अनुक्रमांक-294905), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर (गोपालगंज) सम्प्रति-निलंबित (मुख्यालय- आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-2511 दिनांक-10.07.2025 द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में बरती गयी शिथिलता एवं की गई अवज्ञा के आरोप में संकल्प संख्या-4563231 दिनांक-04.09.2025 द्वारा निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय- आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल निर्धारित किया गया।

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-1038/स्था० दिनांक-26.11.2025 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर (गोपालगंज) के विरुद्ध आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर विभागीय पत्रांक-5064498 दिनांक-14.01.2026 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

श्री सिंह द्वारा दिनांक-28.01.2026 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5257545 दिनांक-25.02.2026 द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से मंतव्य की मांग की गयी। जिसके फलस्वरूप जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-1764/सी० दिनांक-19.06.2026 द्वारा मंतव्य प्राप्त है। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा अपने मंतव्य में श्री सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

अतएव श्री जितेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर (गोपालगंज) सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र, श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी।

समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। साथ ही जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा भी श्री सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है। तदालोक में श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के आलोक में श्री जितेन्द्र सिंह (अनुक्रमांक-294905), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर (गोपालगंज) सम्प्रति-निलंबित (मुख्यालय- आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है एवं उपस्थापन पदाधिकारी नामित करने हेतु जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को निदेश दिया जाता है।

एतद् द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह को आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान (साक्ष्य सहित) उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

विभागीय कार्यवाही संचालन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

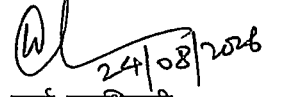
(W) 24/08/2026
(नलिन प्रताप राणा)

विशेष कार्य पदाधिकारी

अधिसूचना सं०:- 6141322 / पटना, दिनांक :- 25/08/2026

संचिका सं०- R-504/39/2025-Section-14-RDD-RDD(COM No-504370)

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सीडीडी सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 24/08/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी

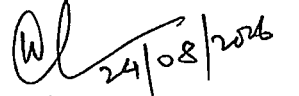
ज्ञापांक:- 6141322 / पटना, दिनांक :- 25/08/2026

संचिका सं०- R-504/39/2025-Section-14-RDD-RDD(COM No-504370)

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज एवं पटना/उप विकास आयुक्त गोपालगंज एवं पटना /कोषांगार पदाधिकारी, गोपालगंज एवं पटना /प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्श हेतु)/ श्री जितेन्द्र सिंह (अनुक्रमांक-294905), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर (गोपालगंज) सम्प्रति-निलंबित (मुख्यालय- आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी को आरोप पत्र एवं संबंधित अभिलेख/कागजात की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही तुरंत आरंभ कर दें तथा अपना प्रतिवेदन शीघ्र देंगे एवं कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेश फलक संलग्न कर अपना निष्कर्ष तीन प्रतियों में विभाग/सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सरकार का पक्ष रखने हेतु वे जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुए पत्र का तामिला कराकर विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होने का निदेश देंगे।

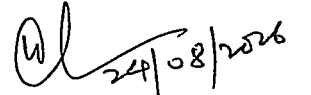
 24/08/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 6141322 / पटना, दिनांक :- 25/08/2026

संचिका सं०- R-504/39/2025-Section-14-RDD-RDD(COM No-504370)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

 24/08/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी